न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 54 / 2023

निर्णय दिनांक :–

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. गरधर पुत्र बच्छा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. गीता पुत्री बच्छा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
3. धर्मराज पुत्र प्रेमा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
4. प्रेम पत्नी प्रेमा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
5. सन्ता पुत्री प्रेमा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
6. सरजू पुत्री बच्छा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
7. हीरा पुत्री बच्छा जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 481/1431 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 753 रकबा 0.80 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 3.09 है0 भूमि वाके ग्राम

सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। ... द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। ... कारण मोके पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा ... कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति ... उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः- ग्राम सरोली की जमाबंदी सम्वत 2077 के खाता संख्या 133 खसरा नं./रकबा उक्तानुसार किता 08 गरधर वगै. की संयुक्त में दर्ज रिकॉर्ड है और कब्जेकाश्त में है। हां, आवेदक का पड़ोसी खातेदारी के ख. नं. 741, 751, 754 से विवाद है। आवेदक की संयुक्त खातेदारी में में दर्ज रिकॉर्ड है और संयुक्त खातेदारी को पक्षकार बनाया गया है। अन्य खातेदारी को पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय का स्थगन नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमा पर राजकीय भूमि है । उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं नहीं होना बताया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2074-2077** में अंकित खाता संख्या 133 खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.44 है0, खसरा नम्बर 385 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 481/1431 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 740 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 753 रकबा 0.80 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 3.09 है0 भूमि वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक में प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली